



267/1

दस्तावेज- 2286708

Z286710

नया योजना क्र. 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

दिनांक : 10 अगस्त 2015

पत्रांक : 1983/05/76/एक/2015-16
सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूझा द्वारा आपके जनपद (इला) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि प्रेषित कर दी गई है-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	219.406

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/नलिन	निकाश का नाम	बस्ती/घाट का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	सरजूपुरवा एवं मैंगलीनघाट में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.232
2	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	कपाड़िया बस्ती निकट गंगार्गज में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.424
3	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	विनुआपुर एवं रूपपुर में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.342
4	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	कल्याणपुर खुर्द पार्ट-ए में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.225
5	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	कल्याणपुर खुर्द पार्ट-बी में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.203
6	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	कल्याणपुर खुर्द पार्ट-सी में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.225
7	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	कल्याणपुर खुर्द पार्ट-डी में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.203
8	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	ढकना पुरवा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.225
9	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	छापी जूही में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.232
10	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	कन्जारन पुरवा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.217
11	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	मुस्लीपुरवा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.221
12	कानपुर नगर	नलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	बगाली चट्टा पार्ट ए में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.235



267/2

दस्तावेज संख्या - 22807/19
22887/10

नया संशोधन क्र. 10 अक्टोबर 1971, संशोधन संख्या - 2260/11

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र. सं.	गाँव का नाम	बाँटव/परिधि	निकाश का नाम	बस्ती/घाई का नाम	प्रतिव्यय व्यय की अनुमानित लागत
1	काँपुर गाँव	बाँटव/परिधि 83	निकाश काँपुर	बगही भूखण्ड पार्ट 'बी' में इंटरसॉलिकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	14,232
2	काँपुर गाँव	बाँटव/परिधि 83	निकाश काँपुर	बगही भूखण्ड पार्ट 'बी' में इंटरसॉलिकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	10,879
3	काँपुर गाँव	बाँटव/परिधि 83	निकाश काँपुर	आमपुरवा में इंटरसॉलिकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	14,086
4	काँपुर गाँव	बाँटव/परिधि 83	निकाश काँपुर	अखीतमज में इंटरसॉलिकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	14,225
योग					219,406

उपरोक्त आठ गाँवों की बाँटव/परिधि का व्यय राशियों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नलिन बस्तियों में सीकरींग रोड अथवा इंटरसॉलिकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनाक्रमगत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

1. राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशादेशों के अनुसार राशियों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नलिन बस्तियों में सीकरींग रोड अथवा इंटरसॉलिकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत की योजनाओं/परिधि का कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात प्रतिव्यय प्रत्येक बस्ती में योजनागत प्रकल्पों में रखा जाये।
2. योजनागत कार्य पर 50% की कार्य कराये जाये। उरकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाश एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित स्थापित कर और सूचना एवं सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा न किया जा सके।
3. योजनागत परिशोधन में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परिशोधन पर सख्त सख्त से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक कर ली जाये ताकि कार्य ही कार्य आरम्भ किया जाये।
4. नगरपालिका को जो सीकरींग के सम्बन्धित सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परिशोधनक्रमगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाश से स्वीकृत राशि की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है कि, तो कि नगरपालिका का बाहुल्य न होने पाये। अन्यथा की स्थिति में सख्त सख्त कि योजनागत प्रकल्प प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता सुनिश्चित करे।
5. योजनागत कार्य पर 50% की परिशोधन में कार्य कराये जाये। उरकी सूचना के साथ नगरपालिका सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार, नगरपालिका/निकाश एवं परिशोधन बाहुल्य के अनुसार यदि कोई स्वीकृत/अनुमानित अन्य निधिगत योजना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
6. योजनागत कार्य में न ही राशि की गयी अनुमानित व्यय प्रतिव्यय व्यय प्रतिव्यय व्यय के अनुसार ही के अनुसार ही कर लिया जाये।
7. योजनागत कार्य पर 50% की परिशोधन में कार्य कराये जाये। उरकी सूचना के साथ नगरपालिका सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार, नगरपालिका/निकाश एवं परिशोधन बाहुल्य के अनुसार यदि कोई स्वीकृत/अनुमानित अन्य निधिगत योजना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
8. योजनागत कार्य पर 50% की परिशोधन में कार्य कराये जाये। उरकी सूचना के साथ नगरपालिका सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार, नगरपालिका/निकाश एवं परिशोधन बाहुल्य के अनुसार यदि कोई स्वीकृत/अनुमानित अन्य निधिगत योजना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
9. योजनागत कार्य पर 50% की परिशोधन में कार्य कराये जाये। उरकी सूचना के साथ नगरपालिका सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार, नगरपालिका/निकाश एवं परिशोधन बाहुल्य के अनुसार यदि कोई स्वीकृत/अनुमानित अन्य निधिगत योजना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

यदि योजनागत कार्य पर 50% की परिशोधन में कार्य कराये जाये। उरकी सूचना के साथ नगरपालिका सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार, नगरपालिका/निकाश एवं परिशोधन बाहुल्य के अनुसार यदि कोई स्वीकृत/अनुमानित अन्य निधिगत योजना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।



267/3

सूत्रांक 2286709

2286710

नया योजना सेंटर, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

12

रासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सुचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे सेकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,


(जय प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधिा अभियन्ता-सूडा
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(जय प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक